(5)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि0 संख्याः– 2/अ0प्र0–01–179/2018 816 /पटना, दिनांक :– 19/3/2024

छपरा जिला में MNP योजना अन्तर्गत दो पथों यथा (a) बनियापुर पिरौटा भाया हरपुर इमली बाजार तक पथ निर्माण एवं (b) गौरापटेढ़ी पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए समय वृद्धि की अवधि क्रमशः दिनांक–31.05.2009 एवं दिनांक–30.03.2009 तक के लिए स्वीकृत था। Price Neutralisation संबंधी विभागीय पत्रांक–7668 अनु0 दिनांक–24.09.2009 को निर्गत होने के पूर्व उपर्युक्त दोनों कार्य समाप्त हो चुके थे। फिर भी Bitumen Price Neutralization के संदर्भ में दिए गए विभागीय निर्देशों की अवहेलना कर संवेदक के दावे के मान्य करते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 द्वारा उक्त पथों के लिए क्रमशः 1882155.00 एवं 2870328.00 यानि कुल 4752482.00 की राशि की माँग विभाग से की गई। अतएव विभागीय निदेशों की अवहेलना कर संवेदक को अनुचित लाभ देने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1358 दिनांक 08.06.2018 द्वारा श्रीराम से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

अप्राप्त रहने पर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हुए दो बार स्मारित किए जाने के बावजूद भी श्री राम द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः उपलब्ध अभिलेख के आधार पर श्री राम के विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों पर आरोप पत्र (आरोप वर्ष 2008–09) गठित कर विभागीय पत्रांक 348 दिनांक 17.01.2020 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद राम द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में विभागीय पत्रांक 7668 दिनांक 24.09.2009 के कंडिका–2 का उल्लेख किया गया जिसमें यह अंकित है कि " एफ–2 आधारित वैसे पूर्व के एकरारनामा, जिसमें विशेष शर्त के रूप में Bitumen Price Neutralization का प्रावधान नहीं है, के लिए संवेदक से दावा प्राप्त हाने पर कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से ही इसकी स्वीकृति देते हुए भुगतान करेंगे। इन कार्यों के लिए उपस्थापित चालू विपत्रों के साथ ही सम्पादित कार्यो के अनुपात में Bitumen Price Neutralization का भुगतान भी साथ–साथ होगा। इसप्रकार के दावे का भुगतान के संबंध में निर्णय हेतु कार्यपालक अभियंता सक्षम होंगे।"

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग से समीक्षा कराई गई। मुख्य अभियंता–3 द्वारा अपने समीक्षा में यह उल्लेख किया गया कि विभागीय पत्रांक 7668 दिनांक 24.09.2009 के कंडिका–2 के अनुसार इन कार्यों के लिए उपस्थापित चालू विपत्रों के साथ ही सम्पादित कार्य के अनुपात में Bitumen Price Neutralization का भुगतान भी साथ–साथ होगा। इससे स्पष्ट है कि यह केवल उक्त अवधि में चालू कार्यों के लिए ही लागू था अर्थात् केवल पूर्व के एकरारनामा जिनका कार्य वर्तमान में चल रहा था, के लिए लागू था। मुख्य अभियंता–3 द्वारा समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित माना जा सकता है, का मंतव्य दिया गया।

श्री राम के दिनांक 31.01.2020 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें दण्ड अधिरोपण के पूर्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत विभागीय पत्रांक 7668 दिनांक 24.09.2009 द्वारा उनसे कारण पृच्छा की गई।

श्री राजेन्द्र राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–25.09.2023 के माध्यम से कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित किया गया है। श्री राम से प्राप्त बचाव बयान की समीक्षा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। मुख्य अभियंता–2 द्वारा समीक्षोपरान्त यह मंतव्य अंकित किया गया कि–

"श्री राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा विभागीय पत्रांक–7668 दिनांक–24.09.2009 में दिए गए निदेशों का सही–सही अनुपालन नहीं करके पहले संवेदक के दावा को स्वीकार करते हुए विभाग से आवंटन की माँग की गई तथा बाद में जब संवेदक द्वारा इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया तो उन्होने अपने कार्यालय ज्ञापांक 2005 दिनांक–18.10.2023 द्वारा संवेदक के दावे को निरस्त कर दिया।

इस से स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा संवेदक के दावा को स्वीकार कर विभाग से आवंटन की माँग किया जाना विभागीय पत्रांक–7668 दिनांक–24.09.2009 के कंडिका–3 में वर्णित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है।"

श्री राम से प्राप्त बचाव बयान एवं उस पर मुख्य अभियंता–2 की समीक्षा पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग का भी मंतव्य प्राप्त किया गया है। अभियंता प्रमुख द्वारा मुख्य अभियंता–2 के मंतव्य से सहमति व्यक्त की गई।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की सम्यक विचारोपरान्त श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध 03 वर्षों तक पेंशन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतः श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल छपरा–1 सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:

पेंशन की राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती 03 वर्षों तक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/3/24

(डॉ0 फतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–179/2018 816 /पटना, दिनांकः–19/3/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–179/2018 816 /पटना, दिनांकः– 19/3/2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिंहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–01–179/2018 816 /पटना/दिनांकः– 19/3/2024

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–मोहल्ला–खेमनीचक, पूर्व लक्ष्मीनगर, शुभकामना कॉलोनी, पटना–800030 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–179/2018 816 /पटना/दिनांकः– 19/3/2024

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–179/2018 816 /पटना/दिनांकः– 19/3/2024

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/3/24

संयुक्त सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in